PWD

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No - 01372 – 252122 E Mail - eepdgpr1@.gmail.com

पत्रांक– 462 /1 ए०सी० दिनांक–06/04/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क,
जोशीमठ।

विषय– प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/20905/2016 जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आऊट, पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्रॉली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 3300/12–1 जोशीमठ दिनांक 05.04.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की पत्र संख्या 08 बी०/यू०सी०पी०/09/103/2021/एफ०सी०/1789 दिनांक 30.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दु संख्या 1 की आख्या निम्नवत् है–

बिन्दु सं० 1– के क्रम में अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण आपदा के कारण लक्ष्मण गंगा पर पूर्व निर्मित पुल पूर्ण रुप से बह गया था तथा जगह–जगह पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया था, चूँकि श्री हेमकुण्ड साहिब एवं फूलों की घाटी हेतु श्रद्धालु/पर्यटक भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। पुल के बहने व मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से श्री हेमकुण्ड साहिब एवं फूलों की घाटी हेतु यातायात पूर्णतः अवरुद्व हो गया था। यातायात को सुचारु करने के लिए तत्काल पुल का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य किया जाना अति आवश्यक था। पुल के निर्माण एवं मार्ग की मरम्मत हेतु शासन/प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बार–बार कहा जा रहा था। इस मार्ग की मरम्मत का कार्य लो०नि०वि० द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा था। पुल के निर्माण, क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत एवं अन्य कार्यों हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया था। कार्य की महत्ता एवं जनता की आवश्यकता को देखते हुए तत्समय पुल का निर्माण एवं मार्ग की मरम्मत का अति आवश्यक कार्य ही वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में कराया गया।

अतः आख्या सादर प्रेषित।

06-04-22

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।